न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 45/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मुस्तरो पत्नी लालखां, जाति मुसलमान, निवासी मोहरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर		1. नगर पालिका मण्डल फलोदी, तहसील फलोदी (जोधपुर) 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर क्रमांकः राजस्व/2017/1027–30 दिनांक 10.02.2017

उपस्थित–

1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलाण्ट
2. रेस्पो0 सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार जोधपुर/बिलाड़ा/फलोदी/पीपाड़शहर को स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 13547–80 दिनांक 26.12.16 के क्रम में जारी पत्र क्रमांकः 1027–30 दिनांक 10.02.2017 के द्वारा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के तहत नगरपालिका सीमा एवं पैराफैरी क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं चारागाह (अनुपयोगी स्थिति में) भूमि को नगरीय निकायों को अविलंब हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने संबंधी निर्देश/आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र कमांक 13547–80 दिनांक 26.12.2016 के कम में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के प्रावधानों के तहत निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि संबंधित निकाय क्षेत्र में निहित होने तथा इस संदर्भ में राजस्व विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकः F.6(9)Rev-6/96pt./39 दिनांक 8.12.10 द्वारा जारी निर्देशों के कम में नगर पालिका सीमा एवं पेराफैरी क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं चारागाह (अनुपयोगी स्थिति में) भूमि की किस्म आबादी प्रयोजनार्थ करके नगरीय निकायों को अविलंब हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार फलोदी द्वारा राजस्व ग्राम फलोदी में स्थित राजकीय एवं सिवायचक भूमियों का ना0क0सं0 2772 में उल्लेखित खसरान की भूमि नगर पालिका मण्डल फलोदी के नाम दिनांक 27.2.17 को दर्ज कर हस्तांतरित की गई। इससे व्यथित होकर अपीलाट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फलोदी के खसरा नं0 440 कुल रकबा 1270.12 बीघा भूमि में से अपीलांट 30 बीघा भूमि पर वर्ष 1965 से पूर्व कब्जा एवं काश्त है तथा उसमें पानी का टांका, कमरा व छपरा बना हुआ है। उक्त भूमि दिनांक 27.05.1965 को उसके पति लाल खां को आवंटित थी, जिसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल–दरामद नही हुआ, इस कारण अपीलार्थीया का सहायक कलेक्टर फलोदी में खातेदारी घोषणा का वाद संख्या 14/2019 मस्तुरो बनाम अधिशाषी अधिकारी न0पा0 फलौदी दर्ज है। जिसमें मौका रिपोर्ट भी तलब की हुई है, उस मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कब्जा बताया हुआ है। परंतु जिला कलेक्टर जोधपुर के अपीलाधीन आदेश/पत्र के हवाले उक्त खसरान की भूमि नगर पालिका के नाम हस्तांतरण हो गई है। दिनांक 13.10.19 को नगर पालिका फलोदी की ओर से अपीलार्थी की कब्जे वाली भूमि पर एक नोटिस चस्पा कर उक्त भूमि को 03 दिन में खाली करने हेतु लिखा गया। जिस पर अपीलार्थीया द्वारा जमाबंदी की

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

नकल ली गई, जिसमें उक्त भूमि अन्य खसरान की भूमि के साथ जरिये नामान्तरकरण संख्या 2772 नगर पालिका फलोदी के नाम दर्ज होने का उल्लेख था। इस प्रकार जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा बिना कोई कब्जे की जांच किए सभी राजकीय भूमियों के संबंध में एक ही संयुक्त आदेश पारित कर दिया गया। विवादग्रस्त खसरा नं0 440 प्रारम्भ से ही कृषि भूमि रही है व इसके आस–पास में उपलब्ध अन्य भूमियां कृषि योग्य नही है। इसके अलावा नगर पालिका फलौदी के पास पहले से पर्याप्त मात्रा में भूमि होने से उसे भूमि की आवश्यकता ही नही है। इस मामले में यदि अपीलार्थीया को नोटिस/सुनवाई का अवसर दिया जाता, तो वह अपना पक्ष रख सकता था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.2.17 की पालना में न0पा0 फलोदी के नाम दर्ज खसरा नं0 440 की भूमि में से अपीलार्थीया के कब्जे की 30 बीघा भूमि तक निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजों की प्रतियां एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त, RRT 2005 (2) Page No 1362, RRT 2009 (1) Page No 220, RRT 2009 (1) Page No 238, RRT 2006-07 (Supp.) Page No 273 & RRT 2007 (2) Page No 1430 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश/पत्र को विधि सम्मत होना बताते हुए यह आग्रह किया गया कि उक्त पत्र स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र कमांक 13547–80 दिनांक 26.12.2016 के कम में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के प्रावधानों के तहत निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि संबंधित निकाय क्षेत्र में निहित होने तथा इस संदर्भ में राजस्व विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकः F.6(9)Rev-6/96pt./39 दिनांक 8.12.10 द्वारा जारी निर्देशों के कम में संबंधित तहसीलदारान को जारी किया गया है। अपीलांट यदि उल्लेखित खसरान की भूमि में कोई हकहकूक रखता है तो उसके द्वारा वांछित अनुतोष खातेदारी घोषणा के वाद से ही मिल सकता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार गुणावगुण पर मनन करने पर यह पाया जाता है कि :–

1. तहसीलदार फलौदी द्वारा नगर पालिका मण्डल फलोदी के नाम पारित ना0क0 संख्या 2772 स्वीकृत दिनांक 27.2.17 में खसरा नम्बर 440 रकबा 1270.12 बीघा, किस्म बारानी चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में दर्ज राजकीय भूमि है।
2. उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेश से जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 10.2.17 की पालना में तहसीलदार फलोदी ने बाद जांच जमाबंदी, राजकीय भूमि को नगर पालिका फलोदी के नाम दर्ज कर, हस्तांतरित की गई है।
3. हल्का पटवारी व तहसीलदार फलोदी की मौका रिपोर्ट में अपीलांट खसरा नं0 440 में से 15 बीघा भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है व उसकी स्थिति अतिक्रमी है।
4. वर्ष 2017 में नगर पालिका मण्डल फलोदी के नाम नामान्तरकरण सं0 2772 खुलने के बाद अपीलार्थीया ने सहायक कलेक्टर (SDO) फलौदी में खातेदारी घोषणा का वाद सं0 14/2019 दायर किया हुआ है। अतः अपीलार्थीया द्वारा वांछित अनुतोष न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी में दायर उक्त वाद से मिल सकता है।
5. जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश/पत्र दिनांक 10.2.17 में कोई त्रुटी नही है, क्योंकि उक्त भूमि सरकारी है और नगर पालिका क्षेत्र में होने से राज्य सरकार के आदेशानुसार न0पा0 फलोदी को हस्तांतरित की गई है। जो सही है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पाये जाने से, तदनुसार खारीज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः 1027–30 दिनांक 10.02.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24/1/2023

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर